सावका संख्या 1/ज॰एस॰ 1045/07/02 – 3497

झारखण्ड सरकार
निबंधन विभाग ।

प्रेषक,

मो० युसूफ,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,
....
....
....
....
....

राँची, दिनांक 20-12-16

विषय :– स्मृति–पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

आपके आवेदन के आलोक मे निबंधित संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली की छाया–प्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अनु॰– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(मो0 युसूफ)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

Attested
Sanjay Kumar Bhagat
R. No. 255/06
Notary Public, Pakur

Certified Copy Forwarding

सचिव

LOK KALYAN PA...
Regd. No. 790...

जन लोक कल्याण परिषद
का
समृति पत्र

01 संस्था का नाम - जन लोक कल्याण परिषद

02 संस्था का निबंधित कार्यालय - पो0– तालझारी, थाना–राजमहल–, ग्राम – मखानी, जिला साहेबगंज पिनकोड,–816129,झारखण्ड,(स्थान मे किसी भी प्रकार सूचना 30दिनो के अंदर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को दे दी जायेगी)

03 कार्यक्षेत्र - सम्पुर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

04 अस्तियां एव दायित्व - यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य मे जन लोक कल्याण परिषद नाम से निबंधित संस्था जिसका निबंधन संख्या 790 वर्ष 1994 है के आस्तियो एव दायित्वों को ग्रहण करती है।

Attested
A. K. R.
Notary

05 संस्था का उद्देश्य

क– समाज के दलित वर्गो , अल्प संख्यकों, हरिजन, आदिवासियों, महिलाओं के सामाजिक ,शैक्षणिक , आर्थिक , एवं सांस्कृतिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करना ।

ख– व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं / पुरूषों के जीवनोपयोगी शिक्षण की व्यवस्था करना , साक्षरता अभियान सघन रूप से चला कर उन्हें योग्य नागरिक बनाना और उनमें राष्ट्रीय भावनाएं भरना ।

ग– महिलाओं , युवकों , युवतियो आदि से रोजगार हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार उन्मूलक प्रशिक्षण देकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार में लगाना । सामुदायिक विकास हेतु मुर्गीपालन , पशुपालन ,मत्स्य पालन आदि से लोगों को लाभान्वित करना ।

घ– प्रौढ महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम का कार्यक्रम चलाना ।महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न लघु उधोग, गृह उधोग , व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जायेगा । जैसे – सिलाई - कटाई , रंगाई– छपाई , मोमबत्ती , आचार , चटनी , पापड पुतला निर्माण आदि ।

ङ– विधवा एवं परित्यागता आश्रमों की व्यवस्था करना ।

च– संगठन के माध्यम से महिलाओं को संगठित करना और उन्हें पुरूषों के समान समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयास करना , महिलाओं बच्चों पर अत्याचार रोकना

Sanjay Kumar Bhagat
R. No. 235/05
Notary Public, Pakur

सचिव

शोषण से मुक्ति, अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का सही उपयोग करने हेतु उत्प्रेरित करने का प्रयास करना।

छ– सौर उर्जा एवं गैर पारम्परिक उर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु लोगों को प्रेरित करना तथा पर्यावरण की रक्षार्थ वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करना एवं पर्यावरणकी सुरक्षा के लिए समाजिक चेतना जागृत करना तथा बैठको का आयोजन कर बैठको, एवं कार्यशाला आयोजित कर व्यापक स्तर पर प्रचार कार्यक्रम चलाना , लोगों के स्वास्थ्य शुद्ध पेयजल चापाकल,कुंआ , पानी टंकी , तालाब आदि, हवादार आवास, शौचालय आदि की व्यवस्था सामुहिक सहयोग से करना । महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम संचालित करने मे सरकार को अपनी मदद देना ।

ज– नृत्य संगीत , बाध्य यंत्रों, हस्तकला आदि के साथ – साथ अन्य ललित कलाओं के विकास हेतू कार्य करना । कृषि की उन्नति के लिए लोगों को आधुनिक तकनीकी से खेती करने , बीज , खाद ,भ्रमी कम्पोस्ट तथा कीटनाशक दवाओं आदि के प्रयोग की जानकारी देना तथा आवश्यक साज – समान उपलब्ध करना ।

झ– बच्चों को बालबाड़ी , आंगनबाड़ी ,पोषाहार , पालनागृह , आदि संचालित करना । गांवों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में शिक्षित करना । स्वास्थ्य संबंधी शिविर का आयोजन करना । पशुपालन , मुर्गीपालन , मत्स्यपालन , मधुमक्खीपालन तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों का प्रशिक्षण देना तथा लोगों को व्यवसाय में लगाना या रोजगार में लगाना ।

ट– निर्धन और मेधावी छात्रों – छात्राओं को प्रेरणार्थ स्कालरशीप प्रदान करना तथा मेधावी छात्रों को पूर्ण शिक्षा के लिए हर प्रकार आर्थिक सहयोग करना ।

ठ– ग्रामीण समस्याओं का अन्वेषण तथा सर्वे करना एवं उसके लिए आवश्यक सुविधाओं को दिलाने का प्रयास करना एवं जनता से संबंधित कार्य जो सरकार या संगठन के माध्यम से सम्पन्न होते हों , उनकी गुणवत्ता की जॉच करना एवं सहयोग कर सरकार को सूचित करना ।

ड– संस्था जिला , प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर युवक एवं युवतियों को व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करेगा जिसमें टाईपराइटिंग शार्टहैण्ड टेलीविजन टेप एवं रेडियों की मरम्मत कम्प्यूटर प्रशिक्षण , विदयुत से चलने वाले यंत्रों आदि का प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी ।

ढ– घड़ी रिपयेरिंग एवं सर्वीसिंग का पूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण देना ताकि युवाओं युवतियों को रोजगार प्राप्त हो ।

ण– संस्था कमजोर एवं निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी । परिवार परामर्श केन्द्र की भी स्थापना की जायेगी ।

संस्था [illegible] चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करेगा । प्रतिष्ठान महामारियों की [illegible] के लिए शिक्षण – प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ – साथ रोग निरोधक टीकाकरण केन्द्र स्थापित करेगा । संस्था ऑख चिकित्सा के लिए कैम्प लगायेगा । प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को टीका लगाने हेतु कैम्प

Attested
A. K. Rabi Das
R. No. - 2?/04
Notary Public Pakur

लगायेगा । परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन कैम्प लगायेगा । टी0 बी0 , कैंसर , कुष्ठ आदि बिमारियों की रोकथाम , जॉच एवं चिकित्सा हेतु आरोग्य केन्द्र संचालित करेगा ।

ध- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना एवं रोगों के रोकथाम के बारे मे प्रशिक्षण देना।
{ प्राकृतिक आयुर्वेदिक , एलोपैथिक , होमयोपैथ यूनानी } ।

द- हरिजन , आदिवासी , पिछड़ा , विकलांग , शिक्षित बेरोजगार , भूतपूर्व सैनिक , भूतपूर्व विधायक आदि के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार के कार्य करेगी ।

ध- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों , शिक्षित बेरोजगार , महिलाओं , आदिवासियों , हरिजनों , पिछड़ी जातियां , अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं विकास के लिए सहकारी समितियों की स्थापना करना एवं उसके कल्याण एव विकास हेतु सरकारी कार्यक्षेत्रों को संचालित करना ।

न- संस्था द्वारा शाखा या उप–विकास स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना ।

प- अनाज गृह एवं शीत भण्डारों की व्यवस्था करना एवं उसके लिए सहयोग करना

फ- औषधि दुरूपयोग , नशाखोरी के विरूद्ध व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाना । संस्था औषधि दुरूपयोग रोकथाम पर परामर्श – सह – निदान केन्द्र की स्थापना करेगा । लोगों को नशाखोरी के विरूद्ध जागृत करने हेतु शिक्षण – प्रशिक्षण के साथ – साथ कार्यशाला संगोष्ठी का आयोजन करेगा ।

ब- किसी सार्वजनिक संस्था या उनकी शाखाओं के निहित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपत्ति को प्राप्त करना तथा उनके कार्यक्रमों को चलाना ।

भ- रेशम मलवरी , कीट पालन का प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उचित माध्यमों से सहायता करना ।

म- मोटर साइकिल एवं पेट्रोल , डीजल से चलने वाले यंत्रों की जानकारी एवं प्रशिक्षण देना ।

य- संस्था सामाजिक एवं शैक्षणिक फिल्मों का निर्माण करेगा ।

र- संस्था के सदस्य केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्मित कारपोरेशन , बोर्ड एवं कमेटी में प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी जनता के भलाई के लिए करेगें ।

ल- संस्था अपने उद्देश्य के लिए धन / जमा / कर्ज प्राप्त या जमा करना या संस्था के धन का निवेश करना , जैसा संस्था को उचित समझता हो या संस्था के संपत्ति को बंधक शोध बदला या गिरवी रखना ।

Attested
A. K. Rabi
R. No
Notary Public

Attested
Sanjay Kumar Bhagat
R. No 255/05
Notary Public, Fakur

सचिव
जन लोक कल्याण परिषद

JAN LOK KALYAN PARISHAD
Regd No 790/93-94

व— संस्था अपने उद्देयों की पूर्त्ति हेतु सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था से शिक्षण — प्रशिक्षण के साथ — साथ दान , उपहार , चंदा , अनुदान या ऋण आदि सशर्त्त अथवा बिना शर्त्त के ग्रहण करेगी ।

श— पुस्तकालय , वाचनालय आदि की व्यवस्था करना ।

ष— खादी ग्रामोद्योग के साथ — साथ विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण — सह — उत्पादन की व्यवस्था करना ताकि गाँव से अकुशल मजदूरों का पलायन न हो ।

स— अमीन , अमानत प्रशिक्षण देकर लोगों को सर्वे संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षण देना , ताकि समाज को एक आदर्श अमीन की प्राप्ति हो सके ।

ह— आकस्मिक विपदाओं के समय लोगों को स्वास्थ्य , चिकित्सा सुविधा , भोजन , वस्त्र एवं आवास सुविधा उपलब्ध करना तथा करवाना ।

क्ष— सामाजिक चेतना लाने एवं राजनीतिक एवं सामाजिक जानकारियों को जनता तक पहूँचाने के लिए पत्र — पत्रिकाओं का प्रकाशन करना ।

त्र— असहाय बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था एवं शिक्षण की व्यवस्था करना अनाथालय की व्यवस्था करना ।

साथ ही साथ संस्था अपने एवं समाज हित को ध्यान मे रखकर कोइ भी एसे समाजिक कार्य को सरकार के नियम के अनुरूप कार्यकारिणी समिति के सहमती से कर सकती है ।

Attested,
A. K. Rabi Das
R. No. - 243/04
Notary Public Pakur

सचिव
जन लोक कल्याण परिषद

Sanjay ...
R. No. 255/08
Notary Public, Pakur

सचिव

LOK KALYAN PARI...
Regd No 790/93-94

07 आकांक्षी व्यक्तियों की सुची एवं विवरण:-

निम्नाकिंत व्यक्ति जिनका पूरा नाम पिता / पति का पुरा नाम , पुर्ण पता ,उम्र शैक्षणिक योग्यता पेशा एवं हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, सस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 के अर्न्तगत संस्था के निबधन के आंकक्षी है।

कमांक	नाम,पिता / पति का पुरा नाम	पुर्ण पता ,मकान सं0 जिला (मकान अपना है या किराया का)अंकित करे फोन नं0	शैक्षिणिक योग्यता	उम्र	पेशा	हस्ताक्षर युक्त फोटो
01	सुश्री बाब्ली कुमारी सिन्हा पिता-स्व0 राजरजन प्रसाद सिन्हा	ग्राम – जहाँगिरा , पोस्ट – सुलतानगंज , जिला – भागलपुर मोबाइल नं0-09431872088(मकान अपना है)	एम0 ए0	28	समाज सेवी	
02	श्री सरोज कुमार झा पिता श्री मेदनी प्रसाद झा	ग्राम-नलपोखर प्यादापुर पोस्ट-- पाकुड जिला-- पाकुड	बी0 ए0	28	समाज सेवी	
03	श्री अजित कुमार ठाकुर पिता-स्व0 रमेश ठाकुर	ग्राम – सिन्धीपाडा , पोस्ट – पाकुड जिला – पाकुड पिन – 816 [illegible] (मकान अपना है)	बी0ए0	26	समाज सेवी	

Attested
A. K. Rai
R. No. - 243/04
Notary Public Pakur

Sanjay Kumar Bhagat
R. No. 265/05
Notary Public, Pakur

सचिव
जन लोक कल्या

		पिन – 816129 मकान अपना है।				
05	कमलिनी हेमब्रम पति मधुसोरेन	ग्राम – झेनागढिया , पोस्ट – बीचामहल , जिला – पाकुड ;मकान अपना है ।	ननमैट्रिक	22	समाज सेवी	
06	सोमा विश्वास	ग्राम – रंण डांगा , पोस्ट – संग्रामपुर जिला – पाकुड;मकान अपना है ।	मैट्रिक	25	समाज सेवी	
07	श्री अनुप कुमार वर्मा पिता – श्री अर्जुन प्रसाद वर्मा	ग्राम – सब्जीमंडी , पोस्ट – बरहरवा जिला– साहेबगंज पिन– 816 101;मकान अपना है	बी0 कॉम	32	समाज सेवी	

Attested
Sanjay Kumar Bhagat
R. No 255/06
Notary Public, Pakur

सचिव

[illegible]	सुश्री.बाब्ली कुमारी सिन्हा पिता– स्व0 राजरंजन प्रसाद सिन्हा	वर्तमान पता – सिन्धीपाडा पाकुड स्थाइ पता– ग्राम – जहाँगिरा , पोस्ट – सुलतानगंज , जिला – भागलपुर मोबाइल नं0– 09431872088 (मकान अपना है)	एम0 ए0	31	सदस्या	समाज सेवा	
06	श्रीमति कमलिनी हेम्ब्रम , पति– मधु सोरेन	ग्राम – झेनागढिया , पोस्ट – बीचामहल , जिला – पाकुड मकान अपना है द्ध	ननमैट्रिक	22	सदस्या	समाज सेवा	
07	सुश्री शोमा विश्वास पिता – स्व0 मोजू विश्वास	ग्राम – रंग डांगा , पोस्ट – संग्रामपुर जिला – पाकुड;मकान अपना है द्ध	मैट्रिक	25	सदस्या	नौकरी	

Attested

Sanjay Kumar Bhagat
R. No.–255/05
Notary Public, Pakur

सचिव
जन लोक कल्याण परिषद

सचिव
जन लोक कल्याण परिषद

Sanjay Kumar Bhagat
R. No 255/05
Notary Public, Pakur

8	दिलीप कुमार राम श्री विश्वनाथ राम	ग्राम –[illegible]चक पोस्ट – .लझारी , जिला – साहेबगंज , पिन – 816 129 (मकान अपना है	बी0 कॉम0	40	समाज सेवी	
09	विनोद कुमार प्रमाणिक श्री हरिकिशोर लाल प्रमाणिक	ग्राम –मखानी , पोस्ट – तालझारी , जिला – साहेबगंज , पिन – 816 129 (मकान अपना है	बी0ए0	38	समाज सेवी	
10	मानिक चन्द्र देब, पिता – श्री जी0 सी0 देब	टीन बंगला ,पोस्ट– पाकुड, जिला – पाकुड	बी0ए0	38	समाज सेवी	
11	थोमस टुडु पिता – श्री लखन टुडु	ग्राम मोहलबन्ना पोस्ट – मोहलबन्ना जिला – पाकुड	मैट्रीक	28	समाज सेवी	

Attested
A. K. Rabi...
R. No. ...
Notary Public ...

Attested
Sanjay K... Bhagat
... 25/06
Notary Public, Pakur

सचिव
ग्रीन लोक ... परिषद

LOK KALYAN PARISHAD
Regd No 790/93-94

जन लोक कल्याण परिषद
की नियमावली

01 परिभाषा :–

क –	संस्था से अभिप्राय है	:– जन लोक कल्याण परिषद
ख –	समिति से अभिप्राय है	:– संस्था की कार्यकारणी समिति
ग –	वितीय वर्ष से अभिप्रायहै	:– 01 अप्रेल से 31 मार्च
ध –	आम सभा से अभिप्राय है	:– संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा
च –	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:– अध्यक्ष,सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव
छ–	अधिनियम एवं नियम से अभिप्राय है	:– . संस्था निबधन अधिनियम 21,1860 एवं बिहार राज्य निबंधन नियमावली 1965; झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत तथाअधिसूचना संख्या 726दिनांक 18–11–05से यथा संशोधित)

02 संस्था की सदस्यता की शर्ते :– प्रत्येक स्त्री एवं पुरूष जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिककी हो जो संस्था के नियमो एव उद्देश्यो का पालन करते हों वे इस संस्था के सदस्य बन सकते है सदस्यता हेतु विहित प्रपत्र मे आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जाएगी प्रत्येक सदस्य को 21 रू प्रवेश शुल्क एवं 45 रू वार्षिक सदस्यता शल्क देना होगा ।

03 संस्था की सदस्ता से विमुक्ति.

:– क – स्वंय त्यागपत्र देने पर ।
:– ख – पागल या मृत्यु होने पर ।
:– ग– सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
:– ध– समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
:– ङ– न्यायालय द्वारा दंडीत होने पर ।
:– च– संस्था के उद्देश्य के विरूध आचरण करने पर ।
:– छ– बिना कारण बताये समिति की लागातार तीन बैठकोमे, अनूपस्थित रहने पर ।

04 कार्यकारिणी समिति की गठन

संस्था के संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमे पदाधिकारी सहित 07 सदस्य होंगे समिति की सभी सदस्य एवं पदाधिकारीयों का चुनाव संस्था की आम सभा मे होगी समिति की सभी कारण वश किसी अन्य सदस्य को मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक मे इसका विधिवत चुनाव करा लेना होगा समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा कोइ भी पदाधिकारी दो बार से अधिक भी समिति मे पदाधिकारी के लिए चुने जा सकते है ।

Attested
Sanjay Kumar Bhagat
R. No. 255/05
Notary Public, Pakur

सचिव
जन लो... ल्याण परिषद

05 कार्यकरणी समिति के कार्य एवं अधिकार

क--सदस्ता के लिए आवेदन पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करना ।

ख--संस्था के चल या अचल सम्पतीं का उत्तरदायित्व होना ।

ग--संस्था के संचालन हेतु आवश्यक धन संग्रह करना ।

ध--बार्षिक बैठक मे विवरणी तैयार करना तथा आम सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना संस्था के विरुध आचरण करने वाले सदस्यों के विरुध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ।

06 पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :--

क-- अध्यक्ष--

01-- प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
02-- संस्था के कार्यो पर निगरानी रखना ।
03-- संस्था के उद्वेश्यों के प्रतिकुल कार्यवाही को रोकना।
04-- कर्मचारियों की नियुक्ति मे सचिव की मदद करना ।
05-- विशेष परिस्थितियों मे किसी विषय पर अपना निंणयक मत प्रदान करना ।

ख-- उपाध्यक्ष--

1-- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके समस्त अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग करना ।

ग-- सचिव--

01-- प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
02-- बैठक के निंणयों को कार्यान्वित करना ।
03-- अध्यक्ष के निंदेशों का पालन करना तथा उनके सहयोग से कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।
04-- संस्था के सभी पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
05-- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
06-- सभी कार्यवाही को संस्था की कार्यवाही पंजी मे अंकित करना ।
07-- आवश्यकता अनूसार समिति विना पुर्वनुमति से 10000/-रुपैये तक व्यय करना, परन्तु समिति की अगामी बैठक मे इसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

ग-- सहसचिव--

सचिव की अनुपस्थिति मे उनके कार्यो का सम्पादन करना, सचिव के कार्यो मे मदद करना संस्था हित मे अन्य कार्य का संम्पादन करना ।

ध-- कोषाध्यक्ष --

01 संस्था के आय व्यय का लेखा रखना ।
02 संस्था को प्राप्त होने वाली प्रत्येक रकम को पंजी मे अंकित करना तथा उसकी रशीद देना ।
03 संस्था के आय--व्यय का अंकेक्षण करना ।
04 आकस्मिक मद के अंतर्गत मात्र 1000/-रु. अपने पास रख सकेंगे परन्तु कोई भी व्यय सचिव की लिखित अनुमति से संभव होगी जिसकी बाद में समिति की बैठक में स्वीकृति ले लेनी होगी ।
05 संस्था को प्राप्त राशि, संस्था के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बेंक या डाकधर में जमा करना होगा तथा आवश्यकतानुसार रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, के संयुक्त हस्ताक्षर से संभव होगी।

07 आम सभा के कार्य एवं अधिकार :

क -- समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारी का चुनाव करना

Attested
Sanjay Kumar Bhagat
R. No. 255/05
Notary Public, Pakur

17 आस्तियाँ एवं दायित्व –

यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में जन लोक कल्याण परिषद् नाम से निबंधित संस्था जिसका निबंधन संख्या 790 वर्ष **94** है के आस्तियाँ एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।

18 अन्यान्य :

जिन बातों को यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सका है या हो पाया है, वह सोसाइटीज राजिस्ट्रैशन ऐक्ट 1860 के अंतर्गत मान्या होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह जन लोक कल्याण परिषद् नामक संस्था की नियामावली की सत्य प्रतिलिपि हैं।

ह0	ह0	
अजित कु0 ठाकुर	बिनोद कु0 प्रामाणिक	ज्ञान प्रकाश यादव

सचिव

जन लोक कल्याण परिषद

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक , झारखंड, राँची

पत्रा :
तुलना किया

Attested

Sanjay Kumar Bhagat
R. No 255/85
Notary Public Pakur

सचिव

क-- संस्था के आय–व्यय का लेखा समुचित रूप से रखा जाएगा तथा प्रतिवर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से अंकेक्षित कराया जएगा।

ख – निबंधन महानिरीक्षक झारखंड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टड एकाउन्टेंट से करा सकते है जिसका शुल्क संस्था द्वारा वाहन किया जायेगा।

13 संशोधन -- संस्था की स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आम सभा की 3/5 सदस्यों द्वारा प्रास्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा तथा सरस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियामावली के सगत नियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

14 पंजी का निरीक्षण

संस्था की सभी पंजिया निबंधित कार्यालय में रहेगी, जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी आदि का निरीक्षण कर सकते हैं।

15 कानूनी कारवाई:

संस्था पर या संस्था के द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से होगी। कार्यकारिणी समिति की सलाह से सचिव अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं।

16 संस्था का विघटन एवं विघटनोपरांत संम्पति की व्यवस्था :

क-- यदि किसी कारणवश संस्था के विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारणी समिति द्वारा समझी जायेगी तब कार्यकारणी समिति तत्संबंधी प्रास्ताव पारित कर इसे आम सभा की विशेष बैठक में रखेगा। आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जायेगा तथा उसे पुनः आम सभा की दुसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से संपुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

ख -- विघटनोपरान्त संस्था के सभी दायित्वों के समंजन के बाद संस्था को जो भी संपति शेष रहेगी वह संस्था के किसी सदस्य या बाहय व्यक्ति को नहीं दी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहूमत से सामान उद्देश्य वाली झारखंड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखड सरकार को दे दी जायेगी।

ग-- संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 की धारा-- 13 एवं 14 पूर्णत पालन किया जायेगा।

Attested
Sanjay Kumar Bhagat
R. No. 266/05
Notary Public, Pakur

सचिव

OK KALYAN PAR
Regd No

ख– संस्था की योजना बजट अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना ।
ग– संस्था की लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना एवं आय–व्यय लेखा पर विचार करना एवं सहमति प्रदान करना।
घ– संस्था के स्मृति पत्र एवं नियामावली में संशोधन लाना
ङ– संस्था के विघटन पर निर्णय लेना ।
च– अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय–वस्तु पर विचार करना।
छ– संस्था के उद्देश्य हित एवं उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना।

08 आम सभा की बैठक :

क– समिति की बैठक प्रत्येक छः माह पर होगी।
ख– आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष मार्च माह से सम्पन्न की जायेगी।
ग– अत्यवाश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकेगी परन्तु संबंधित सदस्यों को इसकी सुचना कम से कम तीना दिन पूर्व अवश्यक दे दी जायेगी।
घ– कोरम :किसी भी बैठक के लिए कोरम उसके कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक होगा (50:1)। कोरम की पूर्ति नहीं होने पर बैठक स्थगित हो जायेगी और पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार किया जायेगा। स्थगित बैठक के लिए पुनः कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ. बैठक की सुचना :

सामान्य बैठक की सूचना कम से कम दस दिन पूर्व एवं विशेष अथवा आकस्मिक बैठक की सुचना 48 धंटे पूर्व दी जायेगी।

09 कार्यकारणी समिति की बैठक :–

क – कार्यकारणी समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में की जायेगी किन्तु आवश्यक बैठक कभी भी ली जा सकती है जिसकी सूचना दस दिन पूर्व डाक या सुविधानुसार दी जायेगी ।
ख–विशेष अथवा आकस्मिक बैठक की सूचना 24 धंटे पूर्व दी जा सकती है

प्रार्थित बैठक :

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को मांग में लिखित विषयों के निर्गत हेतू बैठक बुलानी होगी। यदि सचिव एक माह के अन्दर बैठक नहीं बुलायेंगे तो आवेदको को अधिकार होगा कि से उक्त अवधि के बाद माग पत्र में वर्णित विषय के वर्णण हेतू बैठक का अयोजन कर सकते हैं, किन्तु इसकी विधिवत् सूचना सभी सदस्यों को दी जायेगी। अगर कभी अध्यक्ष को यह लगे कि किसी वैध कारण से सचिव बैठक बुलाने में असमर्थ हैं तो वैसी स्थिति में अध्यक्ष बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

10 आय का श्रोत– चंदा अनुदान ऋण उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से इत्यादि।

11 कोष की व्यावस्था /बैंक खाते का संचालन

क– 05 संस्था को प्राप्त राशि, संस्था के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बेंक या डाकधर में जमा करना होगा तथा आवश्यकतानुसार रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, के संयुक्त हस्ताक्षर से संभव होगी।

प्रवेश शुल्क एव सदस्यता शुल्क।

ख– सरकारी अनूदान एवं ऋण।

ग– विशेष शुल्क एवं चंदा।

घ– उत्पादित वस्तुओ के बिकी से।

12 निधि का अंकेक्षण

Attested
Sanjay Kumar Bhagat
R. No. 266/05
Notary Public, Pakur